

आठवीं अनुसूची

[धारा 72(1) देखिए]

क्र० सं०	केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के संशोधित किए जाने वाले उपबंध	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
5			
10	अधिसूचना सं० सा०का०नि० 600 (अ), तारीख 10 सितंबर, 2004 [23/2004-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 10 सितंबर, 2004] द्वारा प्रकाशित किए गए केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 का नियम 6 ।	केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 6 के उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— (7) जहां 10 सितम्बर, 2004 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2008 को (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित छूट प्राप्त अंतिम उत्पादों में या उसके संबंध में प्रयुक्त अंतःनिवेशों पर प्रत्यय के समायोजन से संबंधित विवाद उस तारीख को जिसको वित्त विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, लंबित हैं, वहां उपनियम (1) और उपनियम (2) तथा उपनियम (3) के खंड (क) और खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई विनिर्माता, किन्हीं अंतःनिवेशों या अंतःनिवेश सेवाओं की बाबत केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय का उपभोग करने वाला और ऐसे अंतिम उत्पादों का, जो शुल्क के लिए प्रभार्य हैं तथा ऐसे अन्य अंतिम उत्पादों का भी, जो छूट प्राप्त माल हैं, विनिर्माण करने वाला विनिर्माता ऐसे छूट प्राप्त माल या उसके संबंध में प्रयुक्त अंतःनिवेशों या अंतःनिवेश सेवाओं के रूप में मान्य केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के बराबर रकम का, ऐसे माल की निकासी से पूर्व या पश्चात् संदाय कर सकेगा : परंतु विनिर्माता नियत तारीख से उक्त रकम के संदाय की तारीख तक चौबीस प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का संदाय करेगा । स्पष्टीकरण —इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, “नियत तारीख” से उस मास के, जिसमें कारखाने से माल की निकासी की गई है, आगामी मास का 5वां दिन अभिप्रेत है ।’।	10 सितंबर, 2004 से 31 मार्च, 2008 (जिसमें दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) ।
15			
20			
25			
30			